

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पटना, दिनांक...../2017

अधिसूचना

संख्या 15/एम 1-38/2014/ बिहार राज्य के नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ में निजी क्षेत्र में के०के० विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय समाजिक कल्याण संस्था, मनोरम नगर, बेकार बाँध, धनबाद से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन मूल्यांकन/समीक्षोपरांत एवं राज्य सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत किए गए आशय पत्र में निहित शर्तों के अनुपालन की सम्यक् जाँचोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 के तहत समाजिक कल्याण संस्था, मनोरम नगर, बेकार बाँध, धनबाद को बिहार राज्य के नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ में निजी क्षेत्र में के०के० विश्वविद्यालय, बिहारशरीफ के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं इसके कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

यह विश्वविद्यालय के०के० विश्वविद्यालय, बिहारशरीफ के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय स्वयं वित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस विश्वविद्यालय का संचालन पूर्णतः बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1-38/2014

पटना, दिनांक /2017

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह०/-

(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1-38/2014

पटना, दिनांक

/2017

प्रतिलिपि :- श्री रवि चौधरी, सचिव, समाजिक कल्याण संस्था, मनोरम नगर, बेकार बाँध, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1-38/2014

पटना, दिनांक

/2017

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली/सचिव/सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/भारतीय चिकित्सा परिषद्/भारतीय फार्मसी परिषद्/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/बार कौंसिल ऑफ इण्डिया/कौंसिल फौर एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय विधिक परिषद्/कृषि अनुसंधान परिषद्/सी0एस0आई0आर0/राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव एवं भारत सरकार के विभिन्न प्रकार के शिक्षा प्रदान करने हेतु गठित नियामक निकायों के सचिव/सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


ह0/-

(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1-38/2014 - 1147

पटना, दिनांक 08/6/2017

प्रतिलिपि :- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव